... है। प्रा.पत्र प्रार्थी से
प्रस्तुत किया गया है जिसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी का ही है।
न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार को साक्ष्य एकत्रित करने का सक्षम
दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण प्रा.पत्र O.26 R.9
C.P.C. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।
उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस का
निवेदन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 23.09.2020 को पेश हो।

23/09/20 पी.ओ. [illegible] अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक 25/09/20 को पेश हो

25/09/2020 पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा.पत्र स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश हुई। पत्रावली
बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन
एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त प्रार्थना पत्र
स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाकर निर्णय अलग से लिखवाया
गया, जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर
दाखिल हो एवं नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू [illegible]